

नय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

/18

तारीखरजू:-21.06.2018

उनवान:- बनवारी आदि बनाम लोहडे वगै०


प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

8 प्रार्थी की और से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट एवं प्रार्थना पत्र बौवत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा आर.टी. एक्ट 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबध मे बहस की सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तिथि तक पाबन्द किया जाता है। कि दादनपुर मे आराजी भूमि ख०न० 106/0.09, 112/0.06, 113/1082/0.04, 126/0.11, 215/0.14, 235/0.20, 241/0.11, 440/0.16, 776/0.30, 834/0.21, 865/0.12, 866/1013/0.03, 886/0.39 कुल किता 13 रकवा 1.96 है० मे सायल के हिस्से मे रिकार्ड एवं मौके की स्थिति आगामी तिथि तक यथास्थिति बनाए रखे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावली दिनांक:- 20.07.2018 को पेश हो।

2238-42  
21/6/18

~~2018-52~~  
~~22-6-18~~

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

20.7.18 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी अबजूद सुपना उप० नही थी P.O. सा० बाहर पधार थी आर्डिना दि० 17.8.18 को पेश हो।

17.8.18- अवकाश

20.8.18 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1,3,4 की औरसे डी राधामणशर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। P.O. सा० अवकाश पर थी आर्डिना दि० 12.9.18 को पेश हो।

12.9.18 वकलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली की रिपोर्ट है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 12-10-18 को पेश हो।

# यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3-7-18 प्राधी वकील उपो प्राधी वकील ने प्रार्थना पत्र  
अर्थात् निवेदाज्ञा में वर्णित लघु को दोहराते हुए  
अंतरिम अर्थात् निवेदाज्ञा को तादावा फैसला  
कन्फर्म करने का निवेदन किया। प्राधी वकील की  
बहस पत्र मदन किया पत्रावली में शामिल जमाबंदी  
संख्या 2073, 2076 के खाता संख्या 128 में वर्णित श्रमि  
खसरा नम्बरान के प्राधीगण खातेदार काश्तकार ही  
अप्राधीगण का इस श्रमि से कोई संबंध नहीं है  
इतः यह प्रार्थना पत्र अर्थात् निवेदाज्ञा स्वीकार  
किया जाता उचित पत्र से दिनांक 21.6.2018 को  
जारी अंतरिम अर्थात् निवेदाज्ञा को तादावा  
फैसला कन्फर्म किया जाता है गैरसायलान के  
पाबन्द किया जाता है कि गुम दादनपुरा की श्रमि  
खसरा नम्बर 106, 112, 113/1082, 126, 215, 235,  
241, 440, 776, 834, 865, 866/1013, 886 कुल  
किता 13 कुल रकवा 1.96 है 0 में सायलान के कब्जे  
काश्त में मजामहत अदाखलत नहीं करे पत्रावली  
फैसल श्रुमात होकर नम्बर लि कम होकर दावा  
पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.18 को सुलेन्द्रपालय  
में लिया जाकर सुनाया गया।

(टोडाभीम)

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)